न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :— 84/2010 (223 आर0टी0एक्ट0)

उनवान

रामकिशोर पुत्र मूल्या जाति मीना निवासी ग्राम झारौटी तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. पूरन सिंह पुत्र रंजीता जाति जाट निवसी हिगोंटा तहसील वैर जिला भरतपुर।

..... असल रैस्पोडेण्ट

2. रामदयाल पुत्र पून्या (मृतक)
   - 2/1. हरफूल
   - 2/2. दिनेश
   - 2/3. जयफूल
   - 2/4. शिवेश

   पुत्रान स्व0 रामदयाल जाति मीना नि0 झारौटी तहसील वैर जिला भरतपुर
3. हरेत पुत्र पून्या (मृतक)
   - 3/1. विजय सिंह
   - 3/2. महेन्द्र

   पुत्रान स्व0 हरेत जाति मीना नि0 झारौटी तह0 वैर जिला भरतपुर।
4. करतार सिंह
5. मान सिंह
6. अरूण सिंह
7. पृथी

   पुत्रान रामकिशोर जाति मीना निवासी झारौटी तह0 वैर जिला भरतपुर।
8. हरफूल
9. जयफूल
10. सुरेश उर्फ शिवेश
11. दिनेश

    पुत्रान रामदयाल जाति मीना नि0 झारौटी तह0 वैर जिला भरतपुर।

.....रैस्पोडेण्ट

अपील संख्या :— 85/2010 (223 आर0टी0एक्ट0)

उनवान

रामकिशोर पुत्र मूल्या जाति मीना निवासी झारौटी तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. पूरन सिंह पुत्र रंजीता सिंह जाति जाट निवासी हींगोटा तहसील वैर जिला भरतपुर।
2. बसीर पुत्र महताब जाति फकीर निवासी झारौटी तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....रैस्पोडेण्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 16.04.10 प्रकरण संख्या 193/07 उनवानी पूरन सिंह बनाम रामकिशोर एवं 19/07 उनवानी रामकिशोर बनाम पूरन, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वैर।

अभिभाषकण :–

1. अभिभाषक अपीलाण्ट श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित।
2. अभिभाषक रेस्पोडेण्ट श्री दुलीचन्द शर्मा उपस्थित।

निर्णय दिनांक :–21.06.2018

1. यह दोनों अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी वैर के निर्णय व डिक्री दिनांक 16.04.2010 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रैस्पो0/वादी ने एक दावा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वैर के न्यायालय में इस आशय के साथ पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम झारौटी का रैस्पो0/वादी अभिलिखित खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी है। उक्त आराजी रैस्पो0/वादी ने वशीर पुत्र महताब कौम फकीर से रजिस्टर्ड वयनामा क्रय की है तथा वक्त वयनामा से रैस्पो0/वादी का उक्त आराजी पर कब्जा काश्त है। प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। प्रतिवादीगण ने रैस्पो0/वादी के खिलाफ गिरोह बनाकर उसे विवादित आराजी से बेदखल करना चाहते हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया।

2. दूसरी अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट/वादी ने एक वाद अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वैर के न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम झारौटी का रैस्पो0/प्रतिवादी संख्या 02 का पिता महताव अहमद पुत्र रेवडया जाति फकीर निवासी झारौटी थे, जिन्होनें उक्त आराजी अपीलाण्ट/वादी को जरिये इकरारनामा, विक्रय कर मौके पर कब्जा संभला दिया। वक्त इकरारनामा से ही अपीलाण्ट/वादी का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त है। रैस्पो0/प्रतिवादी संख्या 02 के पिता का स्वर्गवास 17.09.1991 से दिनांक 07.11.2006 के बीच में हुआ है एवं रैस्पो0/प्रतिवादी संख्या 02 को उसके पिता द्वारा कराये गये इकरारनामा की जानकारी थी। परन्तु रैस्पो0/प्रतिवादी संख्या 02 ने बदयान्ती से विवादित आराजी अपने नाम विरासत का दाखिला खारिज कराते हुए, विवादित आराजी का रजिस्टर्ड वयनामा रैस्पो0/प्रतिवादी संख्या 01 के हक में कर दिया। जबकि विवादित आराजी पर अपीलाण्ट/वादी का कब्जा काश्त है। उक्त रजिस्टर्ड वयनामा के आधार पर रैस्पो0/प्रतिवादी संख्या 01 ने विवादित आराजी का दाखिला, राजस्व रिकार्ड में अपने नाम करा लिया। उक्त इन्द्राजों के आधार पर रैस्पो0/प्रतिवादी संख्या 01 बलपूर्वक विवादित आराजी से अपीलाण्ट/वादी को बेदखल करना चाहते हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

3. उक्त दोनों अपीलाधीन आदेशो से व्यथित होकर वर्तमान दोनों अपीलें इस न्यायालय में पेश की गयी हैं। अपीलें प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों पक्षों के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्य के विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य हैं। विवादित आराजी अपीलाण्ट ने स्व0 महताब अहमद से 30000 रूपये में क्रय की थी। इस प्रकार कथित विक्रय पत्र दिनांक 07.11.2006 से पूर्व विवादित आराजी पर अपीलाण्ट वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहा है केवल इन्द्राज खातेदारी रैस्पो0 के नाम हो जाने से उन्हें कोई खातेदारी अधिकार नहीं मिलते हैं। अतः विक्रय पत्र आरम्भ से ही शून्य है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने शून्य विक्रय पत्र के आधार पर रैस्पो0 को खातेदार मानने एवं तनकी संख्या 01, 02, 03 का निर्णय उनके हक में करने की कानूनी भूल की है। तथाकथित विक्रय पत्र दिनांक 07.11.06 के तहत रैस्पो0 को कोई कब्जा नहीं दिया गया है क्योंकि विक्रय के रोज विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का भौतिक कब्जा काश्त रहा है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि रैस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्य असत्य एवं अपर्याप्त हैं तथाकथित विक्रय पत्र को भी क्रेता ने विक्रेता से साक्ष्य में प्रमाणित नहीं कराया है, केवल पंजीकरण होने से ही साक्ष्य में ग्राह्य नहीं माना जा सकता है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरडी 1977 पेज 457 एवं 479, 1983 पेज 539 का हवाला देते हुए, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

5. विद्वान अधीवक्ता रेस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क दिये कि विवादित आराजी के रैस्पो0 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं एवं काबिज आराजी हैं। विवादित आराजी उन्होंनें, उक्त आराजी के खातेदार वशीर बल्द महताव कौम फकीर से जरिये रजिस्टर्ड वयनामा क्रय की है। अपीलाण्ट का विवादित आराजी से कोई सबध सरोकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त विधि अनुरूप सही निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6. हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया। अपीलाण्ट/वादी रामकिशोर इकरारनामा के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का दावा किया है एवं दूसरी तरफ क्रॉस केस रैस्पो0/वादी पूरन सिंह द्वारा उक्त विवादित आराजीयात का अभिलिखित खातेदार दर्ज होने के कारण, अपनी खातेदारी की आराजी पर रामकिशोर के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का दावा लेकर आया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दोनों दावो को कन्सोलिडेट करते हुए, दावा एवं जवाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम की जाकर, अपीलाधीन आदेश से अपीलाण्ट/वादी रामकिशोर का दावा खारिज एवं रैस्पो0/वादी का दावा डिक्री किया है। प्रकरण में मूलभूत तनकियों की विवेचना निम्न प्रकार है :–

7. <u>तनकी संख्या 1</u> **"आया विवादित आराजी को प्रतिवादी संख्या 02 के पिता महताव अहमद पुत्र खेडया फकीर ने रूपये 30000 में वादी को वय कर दिया, तब से बतौर प्रतिकूल कब्जे**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के आधार पर वादी रामकिशोर को हकूक खातेदारी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 पूरन प्राप्त हो चुके हैं'' इस तनकी को सिद्ध करने का भार अपीलाण्ट/वादी रामकिशोर पर था। किन्तु उनके द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया, जिससे विवादित आराजी पर उनका कब्जा काश्त सिद्ध होता हो। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श–2 एक अनरजिस्टर्ड इकरारनामा है। दूसरी तरफ रैस्पो0 राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2060–63 में विवादित आराजी पर जरिये वयनामा, नामान्तकरण संख्या 852 दिनांक 28.12.2006 से वशीर बल्द महताव के स्थान पर बतौर खातेदार स्वीकार हुआ है। अतः कथित अनरजिस्टर्ड इकरारनामा के आधार पर अपीलाण्ट/वादी रामकिशोर को कोई अधिकार सृजित नहीं होते हैं। तनकी वहक रैस्पो0 सिद्ध होती है।

8. **तनकी संख्या 02 व 03**, तनकी संख्या 01 पर आधारित हैं। चूंकि तनकी संख्या 01 की विवेचना में अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर कोई स्वत्व/अधिकार नहीं पाया गया है। अतः स्थायी निषेधाज्ञा का तो प्रश्न ही नहीं बनता है। दूसरी तरफ विवादित आराजी के अभिलिखित खातेदार, रैस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपनी दस्तावेजी साक्ष्य एवं गवाहन से अपीलाण्ट द्वारा विवादित आराजी की डौल मेढ तोडने एवं झगडा होना साबित किया है। अतः हम अधीनस्थ न्यायालय की इस तनकी विवेचना में भी कोई त्रुटि नहीं पाते हैं।

9. **अनुतोष** – प्रकरण से सम्बन्धित मूलभूत तनकियों को निस्तारण किया जा चुका है, शेष तनकियॉ तनकी संख्या 01 लगायत 03 पर आधारित हैं। अतः उनकी विवेचना किया जाना प्रासंगिक नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्येक तनकी की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से सम्पूर्ण विवेचना की है। अपीलाण्ट अपने जिम्मे की किसी भी तनकी को सिद्ध करने में सफल नही हुआ है। अपीलाण्ट, रैस्पो0 पूरन सिंह के विरूद्ध खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का दावा करते हैं। परन्तु उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नही हुआ है, जिससे वह रैस्पो0 पूरन सिंह के विरूद्ध खातेदारी अधिकारों की घोषणा करा पाने के हकदार हों। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियों के निष्कर्ष में, हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश शेष नही पाते हैं। लिहाजा हम दोनों अपील खारिज योग्य पाते हैं।

10. अतः आदेश है कि दोनों अपील अपीलांट खारिज की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 16.04.2010 यथावत रखे जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। दोनों पत्रावली फैशल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर होवें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

11. निर्णय आज दिनांक 21.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर